राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2077/2006

सूरज प्रकाश

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से: कोई उपस्थित नहीं
प्रतिवादी(ओं) की ओर से: श्री डी.एस. राजवी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

01/05/2024

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को 21.01.2003 को 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद द्वितीय चयन ग्रेड देने तथा उसके बाद 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सभी परिणामी लाभों के साथ तृतीय चयन ग्रेड देने के लिए अनुलग्नक 1 (प्रथम नियुक्ति आदेश) के आलोक में निर्देश देने की मांग की है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में प्रतिवादी निदेशालय विस्तार शिक्षा सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अस्थायी रूप से प्रशिक्षण सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। 9 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता

को 21.01.1994 को प्रथम चयन ग्रेड दिया। याचिकाकर्ता ने 21.01.2003 को प्रशिक्षण सहायक के पद पर 18 वर्ष की सेवा पूरी कर ली, लेकिन प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को द्वितीय चयन ग्रेड नहीं दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने 15.09.2003 को प्रतिवादी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

2.1 याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि निदेशक कृषि जयपुर ने दिनांक 25.01.92 को एक आदेश/परिपत्र पारित किया था, जिसके अनुसार 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयन ग्रेड दिया जाए।

2.2 राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.03.1992 के अनुसार विश्वविद्यालय में 9, 18 एवं 27 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान प्रदान करने वाले राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 को यथावश्यक परिवर्तनों सहित स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार द्वितीय एवं तृतीय चयन ग्रेड क्रमशः 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के अगले दिन से दिया जाना है। बशर्ते कि कर्मचारी को कोई पदोन्नति न मिली हो। फिर भी प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया। अत: यह याचिका।

3.याचिका के जवाब में, पैरा संख्या 4 और 6 में निम्नलिखित स्पष्ट रुख अपनाया गया है, जिसे उपयुक्त होने के कारण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> 4. रिट याचिका के पैरा 4 में उल्लिखित कथनों के उत्तर में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वितीय चयन ग्रेड के लिए पात्र नहीं था, क्योंकि याचिकाकर्ता को पहले ही चयन ग्रेड प्रदान किया गया था, याचिकाकर्ता की सेवा को विस्तार कार्यकर्ता के रूप में मानते हुए 18.3.1985 के आदेश द्वारा 780 रुपये से 820 रुपये का वेतन तय किया गया था। इसलिए प्रतिवादियों के अनुसार याचिकाकर्ता को एक चयन ग्रेड पहले ही प्रदान किया जा चुका है। चूंकि याचिकाकर्ता स्वयं स्वीकार करता है कि उसे वर्ष 1994 में एक चयन ग्रेड प्रदान किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता को 25.1.1992 की अधिसूचना के अनुसार पहले ही दो चयन ग्रेड प्राप्त हो चुके हैं, वह तीसरे चयन ग्रेड के लिए पात्र नहीं है।

6. रिट याचिका के पैरा 8 में किए गए कथनों को स्वीकार किया गया है, लेकिन यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला अलग है। याचिकाकर्ता को शुरू में वर्ष 1969 में विस्तार कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और वर्ष 1985 में उन्हें प्रशिक्षण सहायक के रूप में चुना गया था, उन्हें 17.1.1985 के आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त चयन ग्रेड दिया गया था और वर्ष 1984 में उन्हें प्रशिक्षण सहायक के पद पर 9 साल की सेवा पूरी करने पर फिर से एक चयन ग्रेड दिया गया था।

4. इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा कोई और हलफनामा या प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

5. याचिकाकर्ता ने निहितार्थ रूप से स्वीकार किया है कि उसे वर्ष 1969 में विस्तार कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1985 में ही उसे प्रशिक्षण सहायक के रूप में चुना गया था। उसे दिनांक 17.01.1985 के आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त चयन ग्रेड दिया गया था। वर्ष 1984 में उसे प्रशिक्षण सहायक के पद पर 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर फिर से एक चयन ग्रेड दिया गया था। ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण सहायक के रूप में वर्ष 1985 में नियुक्ति से 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अगला चयन ग्रेड मिलना चाहिए। इसलिए, मैं प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए बचाव से सहमत हूं और प्रतिवादियों की कार्रवाई में तथ्यों या कानून में कोई अनियमितता या अवैधता नहीं पाता हूं जिससे इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो।

6. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

7. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।